

By Special Messenger

F.No. V.15011/09/2017-PH-I
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare

Nirman Bhawan, New Delhi – 110108
Dated 29.05.2018

To.

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi

Subject : Issue of Notification under sub-section (3) of section 1 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017).

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of notification of **"The Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018"** to be issued under sub-sections (1) and (3) of section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017) (in English and Hindi) for publication in the official gazette.

It is requested that the notification may be printed in the Gazette of India Extraordinary and 50 (fifty) copies each of the same may please be made available to this Ministry. Bill for the said expenditure may be raised against this Ministry.

Yours faithfully,



(Lav Agarwal)

Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011-23061195

Copy to:

1. Principal Secretaries (HFW) of all States/UTs
2. Principal Secretaries (Medical Education) of all States/UTs
3. Director, NIMHANS, Bangalore

4. Director, CIP, Ranchi
5. Director, LGBRIMH, Tezpur, Assam
6. Director, AIIMS, Ansari Nagar, New Delhi- 110 029
7. Director, JIPMER, Dhanvantri Nagar, Gorimedu, Puducherry-605006
8. Director, AIIMS Virbhadrha Road, Rishikesh-249201
9. Director, AIIMS, G.E. Road, Raipur, Chhattishgarh-492099.
10. Director, PGIMER, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Karion Block, Sector-12, Chandigarh
11. Director, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences (NEIGRIMS), Mawdingdiang, Shillong – 789018
12. Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, Ring Road, Oppl AIIMS Hospital, New Delhi -110029
13. Medical Superintendent, Dr. RML Hospital, Baba Kharak Sinigh Marg, New Delhi- 110 001
14. Director, RIMS, Regional Institute of Mental Science, Dr. Colony, Lamthelpat, Imphal, Manipur-795004
15. Director, Lady Hardinge Medical College and Associated Hospitals,C-604, Saheed Bhagat Singh Road, DIZ Area, Connaught Place, New Delhi
16. Director, VPCI, Delhi University, North Campus, Vijay Nagar Marg, Delhi – 110 007
17. Director, AIIMS, Bhubaneswar, Sijua, near Bijupatnayak Police Academy, Patrapada, Bhubaneswar-751019
18. Director, AIIMS, Bhopal, Saket Nagar, Bhopal – 562020
19. Director, AIIMS, Jodhpur, Basni Industrial, Phase-2, Jodhpur-342005
20. Director, AIIMS, Patna, Phuwari Sahraif, Patna, Bihar-801505
21. Dean, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sewagram Wardha – 442102, Maharashtra.
22. Director/Medical Superintendent of State Mental Health Institutions
23. State Nodal Officers (NMHP) of all States/UTs

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(Department of Health and Family Welfare)

Notification

New Delhi, the 29th May, 2018

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017);

(b) "Form" means a Form appended to these rules;

(c) "non-official member" means a member of the Central Authority nominated under clauses (i) to (p) of sub-section (1) of section 34 of the Act;

(d) "section" means a section of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or, as the case maybe, in the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) or in the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or, as the case may be, in those enactments.

CHAPTER II

CENTRAL MENTAL HEALTH AUTHORITY

3. Nomination of *ex officio* members of Central Authority. – (1) The Central Government shall nominate Secretary or Additional Secretary to the Government of India in the Department of Health and Family Welfare as Chairperson of the Central Authority under clause (a) of section (1) of section 34.

(2) The Central Government shall nominate the following persons as *ex officio* members of the Central Authority respectively under clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of sub-section (1) of section 34, namely:—

(a) Joint Secretary to the Government of India in the Department of Health and Family Welfare;

(b) Joint Secretary to the Government of India in the Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy;

(c) Director General of Health Services;

(d) Joint Secretary to the Government of India in the Department of Disability Affairs in the Ministry of Social Justice and Empowerment;

(e) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Women and Child Development; and

(f) Directors of the Central Institutions for Mental Health.

(3) The Central Government shall nominate three persons, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministries of Home Affairs, Finance and Law, to be *ex officio* members under clause (h) of sub-section (1) of section 34.

4. Norms for selection of non-official members of Central Authority. – A person shall not be selected for nomination as a non-official member unless, he—

(a) is an Indian National;

(b) is of the age not exceeding sixty-seven years;

(c) possesses qualifications and experience as specified in rule 5.

5. Qualification and experience of non-official members of Central Authority. – (1) The Central Government shall nominate one mental health professional, one psychiatric social worker, one clinical psychologist and one mental health nurse, having a minimum of fifteen years' experience in their respective fields and registered as mental health

professionals with a State Authority, as members of the Central Authority respectively under clauses (i), (j), (k) and (l) of sub-section (1) of section 34.

(2) The Central Government shall nominate two persons each from the following categories as members of the Central Authority respectively under clauses (m), (n), (o) and (p) of sub-section (1) of section 34, namely: –

- (a) persons representing persons who have or have had mental illness;
- (b) persons representing care-givers of persons with mental illness or organisations representing care-givers;
- (c) persons representing non-governmental organisations which provide services to persons with mental illness; and
- (d) persons representing areas relevant to mental health:

Provided that in case none of the members nominated under clause (g) or clause (i) of sub-section (1) of section 34 are psychiatrists, then two psychiatrists shall be nominated as members under clause (p) thereof:

6. Invitation of application for nomination as non-official members of Central Authority. – A vacancy for the post of non-official member of the Central Authority shall be given wide publicity through open advertisement in at least two national daily newspapers (one English and one Hindi) having wide circulation and the advertisement shall also be made available on the website of the Ministry.

7. Selection Committee for nomination of non-official members of Central Authority. – The Selection Committee for nomination of non-official members of Central Authority shall consists of a Chairperson who shall be the Chairperson of the Central Authority and two independent experts of eminence in the field of mental healthcare, to be nominated by the Central Government.

8. Procedure for nomination of non-official members of Central Authority.– (1) The Selection Committee constituted under rule 7 shall consider all applications received by the Ministry and scrutinize such applications which fulfill the requirements of section 34 and rules 4 and 5.

(2) The Selection Committee shall, having regard to the provisions of the Act and these rules, decide about the suitability of the applicants for being selected as members of Central Authority:

Provided that in case of persons to be nominated under sub-rule (2) of rule 5, preference shall be given to the persons with ten years of experience in dealing with persons with mental illness.

(3) The Central Government shall nominate the persons selected by the Selection Committee as members of the Central Authority.

9. Term of office and allowances of non-official members of Central Authority. – (1) Every non-official member of the Central Authority nominated under rule 8 shall hold his office for a term of three years at a time from the date of his nomination.

(2) Every non-official member attending the meeting of the Central Authority shall be entitled to sitting allowance, travelling allowance, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official members of the Commissions and Committees of the Central Government attending the meetings of such Commission or Committee.

10. Furnishing of information.-- The Central Government may call for information concerning the activities of the Central Authority or the State Authority or the Board periodically or as and when required by it and the Central Authority or the State Authority or the Board, as the case may be, shall furnish such information in Form-A.

CHAPTER III

PROVISIONAL REGISTRATION OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS BY CENTRAL AUTHORITY

11. Procedure for provisional registration of mental health establishments by Central Authority. – (1) Every mental health establishment under the control of the Central Government shall be registered with the Central Authority.

(2) Every mental health establishment referred to in sub-rule (1) shall submit an application for provisional registration to the Central authority in Form-B, containing details as specified therein, along with a fee of rupees twenty thousand by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, Central Mental Health Authority payable at New Delhi.

(3) The Central Authority shall, on being satisfied that the mental health establishment fulfils all the requirements as specified in sections 65 and 66 of the Act, grant to such mental health establishment a provisional registration certificate in Form-C.

12. Validity and renewal of certificate of registration.-- The provisional registration certificate granted under sub-rule (3) of rule 11 shall be valid for a period of twelve months from the date of such grant and an application for renewal of such certificate shall be made in Form-B within thirty days before the date of expiry of the period of validity of such certificate and in case application is not made within the specified period, the mental health establishment concerned shall be liable to pay renewal fee of rupees twenty thousand by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, Central Mental Health Authority payable at New Delhi.

13. Issue of duplicate certificate.-- Where a certificate of registration granted to a mental health establishment is destroyed or lost or mutilated or damaged, the Central Authority may issue a duplicate certificate on an application made by such establishment along with fee of rupees two thousand by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, Central Mental Health Authority payable at New Delhi.

14. Maintenance of digital register.-- A category-wise register in Form-D of all registered mental health establishments shall be maintained by the Central Authority in digital format in accordance with the provisions of section 71.

CHAPTER IV FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

15. Accounts and audit of Central Authority. - (1) The Central Authority shall maintain accounts of its income and expenditure relating to each year and prepare an annual statement of accounts consisting of income and expenditure account and the balance sheet.

(2) Annual statement of accounts shall be submitted for audit not later than 30th June each year in the common accounting format prescribed from time to time by the Ministry of Finance for the central autonomous bodies or as nearer thereto as the circumstances admit.

(3) The annual statement of accounts prepared under sub-rule (1) shall be signed on behalf of the Central Authority by the officer in-charge of accounts and the Chief Executive Officer and shall be approved by the Central Authority.

16. Annual report of the Central Authority. – (1) The Central Authority shall prepare its annual report in Form-E and forward it to the Central Government within nine months of the end of the financial year for being laid before each House of Parliament.

(2) The annual report shall give full account of the activities of the Central Authority during the previous year and shall include the audited accounts of the year and the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

CHAPTER-V

MENTAL HEALTH REVIEW BOARDS

17. Mental Health Review Boards. —(1) For the purpose of constituting Mental Health Review Boards under section 73, the State Authority shall, in consultation with the State Government, take decision on the number of such Boards to be constituted in the State, their location and jurisdiction, having regard to the following, namely:—

- (a) the expected or actual workload of the Board to be constituted;
- (b) the number of mental health establishments existing in that State;
- (c) the number of persons with mental illness in that State;
- (d) the population of the place where such Board is to be constituted;
- (e) the geographical and climatic conditions of the place where such Board is to be constituted:

Provided that at least one Board shall be constituted for a district and where it is not feasible, one Board for a group of two or more districts, not exceeding three districts, in the State:

18. Appointment of chairperson and members of Board.—(1) For the purpose of appointment of the chairperson of the Board under clause (a), and the members of the Board under clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 74, the State Authority shall call for applications by giving wide publicity through open advertisement in at least two daily newspapers (one English and one local language) having wide circulation in the State and the advertisement shall also be made available on the website of the State Authority:

Provided that the District Collector or District Magistrate or Deputy Commissioner of the district in which the Board is to be constituted shall nominate its representative as the member of the Board under clause (b) thereof.

(2) The chief executive officer of the State Authority shall consider all applications received under sub-rule (3) and shortlist such applications which fulfill the basic eligibility requirements as provided in section 74 and place the same before the Chairperson of the Central Authority.

(3) The appointment of chairperson and members of the Board shall be made by the Chairperson of the State Authority in accordance with merit.

(4) The State Authority shall, three months prior to occurrence of vacancy in the office of chairperson or member of the Board, or where such vacancy arises by reason of death or resignation or removal of such member, initiate the process for filling up such vacancy in a like manner.

(5) The State Authority shall, from time to time, arrange for the chairpersons and members of the Board to undergo induction training in mental health law, mental healthcare and related areas of not less than two working days.

19. Other disqualifications for chairperson or member of Board. –(1) In addition to the disqualifications specified in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of section 74, a chairperson or a member of the Board appointed by the State Authority shall stand disqualified for the purposes of said sub-section (2), if he holds-

(i) any full-time or part-time assignment that prevents him from giving adequate time and attention to the work of the Board under the provisions of the Act and the rules made thereunder; or

(ii) any office in any political party during his tenure of office in the Board.

(2) The State Authority may remove the chairperson or a member of the Board if a complaint is received against such person and on enquiry by a competent authority appointed for that purpose by the State Authority, it is found that there is substance in such complaint and that the conduct of such person is unbecoming of the office he holds:

Provided that if such complaint is against a chairperson who had been a judicial officer, the complaint shall be forwarded to the Registrar of the concerned High Court for enquiry by the competent authority.

(3) The State Authority may suspend the chairperson or a member of the Board immediately if a criminal case is registered against such person and revoke such suspension if such person is acquitted of the charges framed against him in such case.

20. Honorarium, allowances and other terms and conditions of service of chairperson and members of Board. – (1) If a retired Judge of the District Court is appointed as the chairperson of the Board, he shall be entitled to a consolidated monthly honorarium which together with the pension or pensionary value of the terminal benefits or both received by such person shall not exceed the last pay drawn by him.

(2) If a retired government servant is appointed as a member of the Board, he shall be entitled to a consolidated monthly honorarium which together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both received by such person shall not exceed the last pay drawn by him.

(3) If Chairperson or any member of the Board is in service of the State Government or Central Government, his consolidated honorarium shall be in accordance with the rules applicable to Government servants of his cadre and he shall receive travel allowance only for the day of sitting in the Board.

(4) Every member of the Board, who is not a servant of the Government, attending the meeting of the Board shall be entitled to sitting allowance, travelling allowance, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official members of the Commissions and Committees of the Central Government attending the meetings of such Commission or Committee.

(5) No additional pension and gratuity, except as provided in sub-rules (1) and (2), shall be admissible to the chairperson or any member of the Board for service rendered by him to the Board.

(6) The chairperson or a member of the Board shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service and the payment of consolidated honorarium during leave shall be governed by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(7) The chairperson and other members of the Board shall be entitled to such medical treatment and hospital facilities as are provided under the Central Government Health Scheme to a retired Central Government servant and at places where such Scheme is not in operation, the chairperson and other members of the Board shall be

entitled to such medical facilities as are provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944.

CHAPTER VI

AUDIT, INSPECTION AND ENQUIRY OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS

21. Audit of mental health establishments.— (1). The Central Authority shall, for the purpose of conducting audit of registered mental health establishments, authorize one or more of the following persons, to ensure that such mental health establishment comply with the minimum standards specified under the Act, namely:-

- (a) a representative of the District Collector or District Commissioner of the district where the mental health establishment is situated;
- (b) a representative of the State Human Rights Commission of the State where the mental health establishment is situated;
- (c) a Psychiatrist who is in Government service;
- (d) a Psychiatrist who is in private practice;
- (e) a mental health professional who is not a psychiatrist;
- (f) a representative of a non-governmental organization working in the area of mental health;
- (g) representatives of the care-givers of persons with mental illness or organisations representing care-givers; and
- (h) representatives of the persons who have or have had mental illness

(2) For conducting audit of registered mental health establishment, the Central Authority shall charge a fee of rupees ten thousand by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, Central Mental Health Authority payable at New Delhi.

22. Inspection and inquiry of mental health establishments.—(1) The Central Authority may, suo moto or on a complaint received from any person with respect to non-adherence of minimum standards specified by or under the Act or contravention of any provision thereof, order an inspection and inquiry of any mental health establishment, to be made by one or more of the following persons, namely:-

- (a) a Psychiatrist in Government service;
- (b) a Psychiatrist in private practice;
- (c) a mental health professional who is not a psychiatrist;
- (d) a representative of a non-governmental organization working in the area of mental health;
- (e) a police officer in charge of the police station under whose jurisdiction, the mental health establishment is situated;
- (f) a representative of the District Collector or District Commissioner of the district where the mental health establishment is situated.

(2) The Central Authority or the person authorized by it under sub-rule (1) may, if it has reasons to believe that a person is operating a mental health establishment without registration, or is not adhering to the minimum standards specified by or under the Act or has been contravening any of the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder, enter and search such mental health establishment.

(3) During search, the Central Authority or the person authorized by it may require the mental health professional in charge of the mental health establishment to produce the original documents relating to its registration with the Central Authority and it shall be obligatory on the part of the mental health establishment to produce such documents.

(4) Within two days of completing search of the mental health establishment under sub-rule (3), a written report of the findings of such search shall be submitted to the Chairperson of the Central Authority.

(5) The Chairperson of the Central Authority, shall, on receipt of the written report under sub-rule (4), take such action as it deems fit, against the defaulting mental health establishment in accordance with the provisions of the Act.

Form-A
[See rule 10]

**INFORMATION ON THE ACTIVITIES OF THE CENTRAL AUTHORITY/ STATE
AUTHORITY/ BOARD**

1. New Regulations notified:
2. Number of orders passed during the year:
3. Meetings held during the year:
4. Number and details of mental health establishments under the control of the Central Government
5. Number and details of mental health establishments in the State or Union Territory:
6. Registration of mental health professionals by the State Authority:
7. Statement on references received from Central Government and State Government and action taken thereon:
8. Quality and service provision norms for different types of mental health establishments under the Central Government/State Government:
9. Training imparted to persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals about the provisions and implementation of the Mental Healthcare Act, 2017:
10. Applications for registration of mental health establishments received, accepted and rejected along with reasons for such rejection:
11. Audit of Mental Health Establishments along with audit reports:
12. Complaints received regarding violation of rights of Mentally ill persons and action taken thereon:
13. Details regarding guidance document for medical practitioners and mental health professionals:
14. Number of cases registered regarding Sexual Harassment of Women at Workplace under section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and details thereof:
15. Details of inspection and inquiry of Mental Health Establishments:
16. Number of appeals to High Court against order of Authority and status thereof:
17. Complaints received regarding deficiencies in provision of services and action taken thereon:
18. Stakeholders Consultations:

19. Inquiry initiated by the Authority/Board:
20. Administration and establishment matters
21. Budget and Accounts with details including balance sheet, income and expenditure account, etc.:
22. Any other matter which may be relevant:

Form-B

[See rules 11(2) and 12]

APPLICATION FOR GRANT OF PROVISIONAL REGISTRATION/ RENEWAL OF
PROVISIONAL REGISTRATION OF A MENTAL HEALTH ESTABLISHMENT

To

The.....
Ministry/ Department
Government of India
.....

Dear Sir/ Madam,

I/we intend to apply for grant of provisional registration/ permanent registration/ renewal of provisional registration for the Mental Health Establishment namely of which I am/we are holding a valid licence/registration for the establishment/ maintenance of such hospital/nursing home. Details of the hospital/nursing home are given below:

1. Name of applicant
2. Details of licence with reference to the name of the authority issuing the licence and date.....
3. Age
4. Professional experience in Psychiatry
5. Permanent address of the applicant
6. Location of the proposed hospital /nursing home
.....
7. Address of the proposed nursing home/hospital
8. Proposed accommodations:
 - (a) Number of rooms
 - (b) Number of beds
 - (c) Facilities provided:
 - (d) Out-patient
 - (e) Emergency services
 - (f) In-patient facilities
 - (g) Occupational and recreational facilities
 - (h) ECT facilities (n X-Ray facilities
 - (i) Psychological testing facilities
 - (j) Investigation and laboratory facilities
 - (k) Treatment facilities

Staff pattern:

- (a) Number of doctors
- (b) Number of nurses
- (c) Number of attendees
- (d) Others

I am herewith sending a bank draft for Rs..... drawn in favour of..... as application fee.

I hereby undertake to abide by the rules and regulation of the Mental Health Authority.

I request you to consider my application and grant the licence for establishment/ maintenance of psychiatric hospital/nursing home.

Yours faithfully

Signature.....

Name.....

Date.....

Form-C

[See rule 11(3)]

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION/ RENEWAL OF PROVISIONAL
REGISTRATION

The Central Authority/ State Authority, after considering the application dated.....submitted by.....under section 65 (2) or section 66 (3) or section 66(10) of the Mental Healthcare Act, 2017, hereby accords provisional registration/renewal of provisional registration to the applicant mental health establishment in terms of section 66 (4) or section 66 (11), as per the details given hereunder:

Name: _____

Address _____

No of beds _____

The provisional registration certificate issued, is subject to the conditions laid down in the Mental Healthcare Act,2017 and the rules and regulations made there under and shall be valid for a period of twelve months from the date of its issue and can be renewed.

Place

Date

Registration Authority

Seal of the Registration Authority

FORM – D
(See rule 14)

Register of Mental Health Establishments
(in digital format)*

Category

Sl. No.	Name and Address of the applicant	Name of the establishment and address	Date of the application	Date and particulars of Registration	No. of beds	Remarks

***Separate table for each category of mental health establishment.**

Form-E

[See rule 16(1)]

Annual Report of Central Authority

1. Introduction
2. Profile of the Authority's Members
3. Scope of Regulation
4. New Regulations/procedures etc. notified/issued
5. Orders passed by the Authority
6. Meetings of the Central Mental Health Authority held during the year
7. Mental health establishments under the control of the Central Government
8. Mental health establishments in the States/UTs
9. Registration of mental health professionals by the State Authorities
10. A statement on references received from Central and State Governments and action taken thereon
11. A statement on references sent to the Central and State Governments and action taken thereon by the respective Governments
12. Quality and service provision norms for different types of mental health establishments under the Central Government
13. Supervision of mental health establishments under the Central Government and action taken on the complaints received about deficiencies in provision of services therein
14. Training imparted to persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals about the provisions and implementation of the Mental Healthcare Act, 2017
15. Applications for registration of mental health establishments received, accepted and rejected along with reasons for such rejection.
16. Audit of Mental Health Establishments
17. Complaints received regarding violation of rights of Mentally ill persons and action taken thereon
18. Instances of supersession of the Central Authority by the Central Government and reasons therefor.
19. Details regarding guidance document for medical practitioners and mental health professionals
20. Implementation of RTI Act, 2005

21. Details regarding Sexual Harassment of Women at Workplace under Section 22 of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
22. Inspection and Inquiry of Mental Health Establishments
23. Appeals to High Court against order of Authority and status thereof
24. Status of review of use of advance directives and recommendations of the Authority in respect thereof.
25. Complaints received about deficiencies in provision of services and action taken thereon.
26. Stakeholders Consultations
27. Inquiry initiated by the Authority
28. Administration and establishment matters
29. Annual accounts
30. Any other matter which in the opinion of the Authority needs to be highlighted



[F. No. V-15011/09/2017-PH-I]
LAV AGARWAL, Jt. Secy.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 के उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2018

सा.का.नि..... (अ) केंद्रीय सरकार, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 121 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (ग) "गैर-सरकारी सदस्य" अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) का खण्ड (झ) से (त) के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण का नाम निर्दिष्ट सदस्य से अभिप्रेत है;
 - (घ) "धारा" इस अधिनियम की धारा से अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, जो परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम अथवा, जैसी भी स्थिति हो, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) में परिभाषित हैं जहां तक वे अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम अथवा जैसी भी स्थिति हो, इन अधिनियमितियों में उनके हैं।

अध्याय 2

केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

3. केंद्रीय प्राधिकरण के पदेन सदस्यों का नामनिर्देशन- (1) केंद्रीय सरकार धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव अथवा अपर सचिव को केंद्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नामनिर्देशित करेगी।
- (2) केंद्रीय सरकार धारा 34 की उप-धारा (1) के क्रमशः खण्ड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) के अधीन निम्नलिखित पदेन सदस्यों को व्यक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण का नाम निर्देशित करेगी, अर्थात:-
 - (क) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग;
 - (ख) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग;
 - (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक;
 - (घ) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन कार्य विभाग;
 - (ङ) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय; और
 - (च) केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निदेशक।
- (3) केंद्रीय सरकार गृह, वित्त और विधि मंत्रालय के ऐसे तीन व्यक्तियों को जो संयुक्त सचिव के पद से कम न हों धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन पदेन सदस्यों के रूप में नाम निर्देशित करेगी।
- (4) केंद्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के चयन संबंधी मानदंड-कोई व्यक्ति गैर-सरकारी सदस्य के रूप में तब तक नाम निर्देशित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह-
 - (क) भारतीय नागरिक न हो ;
 - (ख) सड़सठ वर्ष की आयु से अधिक न हो
 - (ग) नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव न रखता हो।
5. केंद्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों की अर्हता और अनुभव- (1) केंद्रीय सरकार धारा 34 की उप-धारा (1) के क्रमशः खण्ड (झ), खंड (ज), खंड (ट) और खंड (ठ) के अधीन एक मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायी, एक मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक और एक मानसिक स्वास्थ्य नर्स को केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत करेगी जो अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो और राज्य प्राधिकरण में मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो।

(2) केन्द्रीय सरकार धारा 34 की उप-धारा (1) के क्रमशः खंड (ड), खंड (ढ) एवं खंड (ण) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित प्रवर्गों से दो-दो व्यक्ति नाम निर्देशित करेगी, अर्थात्

(क) ऐसे जो इन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त हैं अथवा ग्रस्त थे।

(ख) ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के देखभालकर्ताओं का प्रतिनिधित्व या ऐसे संगठन जो देखभालकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं; और

(ग) गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं

(घ) ऐसे व्यक्ति जो मानसिक स्वास्थ्य से सुसंगत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं

परन्तु यदि धारा 34 की उप धारा (1) के खण्ड (छ) या खण्ड (झ) के अधीन नाम निर्देशित सदस्यों में से कोई भी सदस्य मनोचिकित्सक नहीं है तो इसके खण्ड (त) के अधीन दो मनोचिकित्सकों को सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किया जाएगा।

6. केन्द्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नाम निर्देशन के लिए आवेदन आमंत्रित करना : केन्द्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्य के पद हेतु रिक्ति के विज्ञापन को व्यापक रूप से प्रचलित किए जाने वाले कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी तथा एक हिंदी भाषा) में प्रकाशित किया जाएगा तथा इस विज्ञापन को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

7. केन्द्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु चयन समिति: - केन्द्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु चयन समिति में एक अध्यक्ष होंगे जो केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित दो स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे, जो मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ होने चाहिए।

8. . केन्द्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी के नाम निर्देशन हेतु प्रक्रिया:- (i) नियम 7 के अधीन गठित चयन समिति मंत्रालय द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगी तथा ऐसे आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी जो धारा 34 तथा नियम 4 एवं नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(2) चयन समिति द्वारा अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में चयनित किए जाने के लिए आवेदकों की उपयुक्तता के बारे में विनिश्चय किया जाएगा।

परंतु नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में, उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें मानसिक रोग ग्रस्त व्यक्तियों का उपचार करने का दस वर्ष का अनुभव हो।

(3) केन्द्रीय सरकार चयन समिति द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में चयनित व्यक्तियों का नाम निर्देशन करेगी।

9. केन्द्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और भत्ते : (i) नियम 8 के अधीन प्रत्येक नाम निर्देशित केन्द्रीय प्राधिकरण का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से एक बार में तीन वर्ष तक की अवधि तक इस अपना पद धारण करेगा।

(2) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य को केन्द्रीय प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने के लिए बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा ऐसे अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे आयोग या ऐसी समिति की बैठकों में भाग लेने वाले आयोगों तथा समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को लागू होते हैं।

10. सूचना प्रस्तुत करना:- केन्द्रीय सरकार, केन्द्र प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण या बोर्ड के क्रिया-कलापों से संबंधित जानकारी अवधिक रूप से या जब कभी उसके द्वारा इसकी अपेक्षा की जाए, मांग सकेगी और यथा स्थिति राज्य प्राधिकरण-या बोर्ड, फार्म-ए में ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा।

अध्याय - 3

केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का अनंतिम रजिस्ट्रीकरण

11. केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रक्रिया:- (1) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को केन्द्रीय प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्ररूप 'रण' में प्रस्तुत करेगा जिसमें नई दिल्ली में देय, अध्यक्ष, केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, के पक्ष में डिमॉड ड्रॉफ्ट के रूप में बीस हजार रुपए की फीस के साथ, उसमें यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे होंगे।

(3) केन्द्रीय प्राधिकरण का यह समाधान हो जाने पर कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन अधिनियम की धारा 65 और धारा 66 में यथाविनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, ऐसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को प्ररूप 'ग' में एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

12. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की वैधता और नवीकरण:- नियम 11 के उप नियम (3) के अधीन प्रदान किया गया अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ऐसे प्रदान करने की तारीख से 12 मास की अवधि के लिए वैध होगा और ऐसे प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता अवधि की समाप्ति की तारीख से पूर्व तीस दिनों के भीतर प्ररूप 'ख' में किया जाएगा तथा यदि इस विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन नहीं किया जाता है तो संबंधित मानसिक स्वास्थ्य स्थापन अध्यक्ष, केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में देय एक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बीस हजार रुपए की नवीकरण फीस का संदाय करने का दायी होगा।

13. दो प्रतियों में प्रमाणपत्र जारी करना- जहाँ किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नष्ट अथवा खो गया अथवा कटफट अथवा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो केन्द्रीय प्राधिकरण ऐसे स्थापन द्वारा किए गए आवेदन पर केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में देय दो हजार रुपए की फीस के साथ एक दूसरा प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

14. डिजिटल रजिस्टर का रख-रखाव - सभी रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के प्ररूप 'घ' में धारा 71 के उपबंधों के अनुसार डिजिटल रूप विधान में केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा एक प्रवर्गवार रजिस्टर बनाए रखा जाएगा।

अध्याय-4

वित्त, लेखा एवं संपरीक्षा

15. केन्द्रीय प्राधिकरण के लेखों एवं संपरीक्षा:- (1) केन्द्रीय प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष से संबंधित इसकी आय और व्यय का लेखा बनाए रखेगा तथा आय और व्यय लेखा तथा तुलन पत्र को समाविष्ट करने वाले वार्षिक लेखा विवरण भी तैयार करेगा।

(2) लेखाओं का वार्षिक विवरण संपरीक्षा हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विहित सामान्य लेखा रूप विधान में प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखा विवरण पर लेखा भारसाधक अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा इनका अनुमोदन किया जाएगा।

16. केन्द्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट:- (1) केन्द्रीय प्राधिकरण प्ररूप 'ड.' में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए वित्त वर्ष के अंत के नौ मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करेगा।

(2) इस वार्षिक रिपोर्ट में पूर्व वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी कार्यकलापों का पूरा वृत्त इसमें वर्ष के संपरीक्षित लेखाओं तथा इस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी सम्मिलित होगी।

अध्याय 5

मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड

17. मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड:- (1) धारा 73 के अधीन मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करने के प्रयोजनार्थ, राज्य में गठन किए जाने वाले ऐसे बोर्डों की संख्या, उनके अवस्थान तथा अधिकारिता, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, के संबंध में विनिश्चय राज्य प्राधिकरण राज्य सरकार के परामर्श से विनिश्चय, अर्थात्:-

- (क) गठित किए जाने वाले बोर्ड का प्रत्याशित अथवा वास्तविक कार्यभार;
- (ख) उस राज्य में विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों की संख्या;
- (ग) उस राज्य में मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या;
- (घ) उस स्थान की जनसंख्या जहां ऐसे बोर्ड का गठन किया जाना है;
- (ङ) उस स्थान की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी स्थिति जहां ऐसे बोर्ड का गठन किया जाना है।

परंतु राज्य के किसी एक जिले में अथवा दो अथवा अधिक जिलों के लिए कम से कम एक बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा जहाँ यह संभव नहीं है, वहाँ दो या दो से अधिक, तीन से अनधिक जिलों के समूह के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा।

(18) बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति:- धारा 74 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के तथा खण्ड (ग) और खंड (घ) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए राज्य प्राधिकरण, राज्य में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी तथा एक स्थानिक भाषा) में खुले विज्ञापन के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार करके

आवेदन आमंत्रित करेगा तथा इस विज्ञापन को राज्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

परंतु उस जिले के जिला कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त, जिसमें इस बोर्ड का गठन किया जाना है, इसके खंड (ख) के अधीन बोर्ड सदस्य के रूप में अपने प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन करेंगे।

(2) राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगा ऐसे आवेदनों की छटनी करेंगे जो धारा 74 में यथा उपबंधित पात्रता संबंधी आधारभूत अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तथा उन आवेदनों को केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के अनुसार राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(4) राज्य प्राधिकरण, इस बोर्ड के अध्यक्ष अथवा सदस्य के कार्यालय में रिक्ति होने से तीन मास पूर्व अथवा जहां ऐसी रिक्ति ऐसे सदस्य की मृत्यु अथवा पदत्याग करने अथवा पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न होती है वहां वैसी ही रीति में ऐसी रिक्ति को भरने की प्रक्रिया आरंभ करेगा।

(5) राज्य प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए समय-समय पर मानसिक स्वास्थ्य कानून, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तथा संबंधित क्षेत्रों में कम से कम दो कार्य दिवसों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगा।

19. बोर्ड के अध्यक्ष अथवा सदस्य के लिए अन्य निरर्हताएं:- (1) धारा 74 की उप-धारा (2) को खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट निरर्हताएं के अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त बोर्ड के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को उक्त उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ निरर्हित हो जाएगा, यदि वे

(i) कोई ऐसा पूर्ण कालिक अथवा समनुदेशन धारण करते अंशकालिक हैं जो उन्हें इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन बोर्ड के कार्यों पर पर्याप्त समय तथा ध्यान देने से रोकता है; अथवा

(ii) इस बोर्ड में कार्यालय उसकी पदावधि के दौरान किसी राजनैतिक दल में कोई पद धारण करता हैं।

(2) राज्य प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटा सकेगा यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्ति किए गए किसी सक्षम

प्राधिकारी द्वारा जांच किए जाने पर यह पाया जाता है कि इस प्रकार की शिकायत में कोई वास्तविकता है और ऐसे व्यक्ति का आचरण उनके द्वारा धारित पद के लिए अशोभनीय है:

परंतु यदि ऐसी शिकायत किसी ऐसे अध्यक्ष के विरुद्ध है जो न्यायिक अधिकारी रहा था तो शिकायत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच हेतु संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्टर को प्रस्तुत करना होगा।

(3) राज्य प्राधिकरण, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य को तुरंत निलंबित कर सकता है यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो और ऐसे निलंबन को वापस कर सकता है, यदि ऐसे व्यक्ति को ऐसे मामले में उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से उसे दोषमुक्त कर दिया गया है।

20. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के मानदेय, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें- (1) यदि जिला न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह एक समेकित मासिक मानदेय का हकदार होगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवांत हितलाभों की पेशन संबंधी राशि के साथ या दोनों के साथ मिलकर उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह एक समेकित मासिक मानदेय का हकदार होगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवांत हितलाभों की पेशन संबंधी राशि के साथ या दोनों के साथ मिलकर उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।

(3) यदि बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा में है, तो उसका समेकित मानदेय उसके कांडर के सरकारी सेवकों को लागू नियमों के अनुसार होगा और उसे बोर्ड की बैठक के दिन के लिए ही यात्रा भत्ता प्राप्त होगा।

(4) बोर्ड का प्रत्येक सदस्य जो सरकारी सेवक नहीं है, बोर्ड की बैठक में भाग लेता है तो वह बैठक भत्ते, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते और ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा जो ऐसे आयोगों या समितियों की बैठकों में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के इन आयोगों और समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को लागू होते हैं।

(5) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके द्वारा बोर्ड की दी गई सेवा के लिए उप-नियमों (1) और उप-नियम (2) में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई अतिरिक्त पेंशन और उपदान नहीं दी जाएगी।

(6) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिनों की अर्जित छुट्टियों का हकदार होगा और अवकाश के दौरान समेकित मानदेय का संकाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा।

(7) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के अधीन, केन्द्रीय सरकार के किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रदान की जाती है और जिन स्थानों पर ऐसी स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, वहां बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उन चिकित्सा सेवाओं के हकदार होंगे जिनका केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा व्यय परिचर्या) नियम, 1944 में उपबंध किया गया है।

अध्याय 6

मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों की संपरीक्षा, निरीक्षण और जांच

21. मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों की संपरीक्षा:- (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों की संपरीक्षा संचालित करवाने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत करेगा ताकि अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का इन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, अर्थात्-

(क) उस जिले के जिला कलक्टर या जिलायुक्त का प्रतिनिधि जहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन स्थित है;

(ख) उस राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रतिनिधि जहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन स्थित है;

(ग) कोई मनोचिकित्सक जो सरकारी सेवा में है;

(घ) कोई मनोचिकित्सक जो निजी व्यवसाय (प्रेक्टिस) में है;

(ङ) कोई मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक जो मनोचिकित्सक नहीं है;

(च) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत किसी गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि;

(छ) मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को देखरेख करने वाले व्यक्तियों या उन परिचालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि; और

(ज) उन व्यक्तियों के प्रतिनिधि जो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं या जो मानसिक रोग से ग्रस्त रह चुके हैं।

(2) पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापन की संपरीक्षा संचालित करवाने के लिए, केन्द्रीय प्राधिकरण, केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दस हजार रुपए की फीस प्रभारित करेगा।

22. मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण और जांच:- (1) केन्द्रीय प्राधिकरण स्वः प्रेरणा से या अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं करने या इसके किसी उपबंध का उल्लंघन करने के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पर किसी भी मानसिक स्वास्थ्य संस्था के निरीक्षण और जांच का आदेश दे सकेगा, जो निम्नलिखित में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना है, अर्थात:-

- (क) कोई मनोचिकित्सक जो सरकारी सेवा में है
- (ख) कोई मनोचिकित्सक जो निजी चिकित्सा सेवा (प्राइवेट्स) में है;
- (ग) कोई मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक जो मनोचिकित्सक नहीं है;
- (घ) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत किसी गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि;
- (ङ) उस पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी जिस की अधिकारिता में मानसिक स्वास्थ्य संस्था स्थित है;
- (च) उस जिले के जिला कलक्टर या जिलायुक्त का प्रतिनिधि जहां उक्त मानसिक स्वास्थ्य संस्था स्थित है।

(2) यदि केन्द्रीय प्राधिकरण या उप-नियम (1) के अधीन इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने के कारण है कि कोई व्यक्ति बिना राजिस्ट्रीकरण के मानसिक स्वास्थ्य संस्था चला रहा है, या अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा है या अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों और विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता रहा है, तो वह उस मानसिक स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश करके तलाशी कर सकेगा।

(3) तलाशी के दौरान, केन्द्रीय प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संस्था के प्रभारी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक से केन्द्रीय प्राधिकरण में इसके राजिस्ट्रीकरण से संबंधित मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और मानसिक स्वास्थ्य संस्था के लिए ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना बाध्यकर होगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्था की तलाशी पूरी होने के दो दिनों के भीतर, ऐसी तलाशी के निष्कर्षों की लिखित रिपोर्ट केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास प्रस्तुत की जाएगी।

(5) केन्द्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष उप-नियम (4) के अधीन लिखित रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, व्यतिक्रमी मानसिक स्वास्थ्य संस्था के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करेगा जैसा वह उचित समझे।

प्ररूप क
[नियम 10 देखें]

केन्द्रीय प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण/बोर्ड के क्रियाकलापों से संबंधित जानकारी

1. अधिसूचित नए विनियम:
2. वर्ष के दौरान पारित आदेशों की संख्या:
3. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें:
4. केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या और इनके ब्यौरे।
5. राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या और इनके ब्यौरे।
6. राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण:
7. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त संदर्भों पर वक्तव्य तथा उस पर की गई कार्रवाई:
8. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन विभिन्न प्रकारों की मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए गुणवत्ता और सेवा उपबंध के मानदंड:
9. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के उपबंधों और कार्यान्वयन के बारे में विधि प्रवर्तन अधिकारियों, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों और अन्य स्वास्थ्य वृत्तिकों सहित व्यक्तियों को दिया गया प्रशिक्षण:
10. मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त हुए स्वीकार किए गए तथा रद्द किए गए आवेदन और साथ ही ऐसे रद्द किए जाने के कारण:
11. लेखा परीक्षा रिपोर्टों के साथ मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं की लेखा परीक्षा:
12. मानसिक रोगियों के अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई:
13. चिकित्सा व्यवसायियों और मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों के लिए मार्ग निर्देशन संबंधी दस्तावेज संबंधी ब्यौरा:
14. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अधीन महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित रजिस्ट्रीकृत मामलों की संख्या और इनके ब्यौरे:
15. मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के निरीक्षण और जांच के ब्यौरे:
16. प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में की गई अपीलों की संख्या और इनकी प्रास्थिति:
17. सेवाओं के उपबंध में सामने आई कमियों से संबंधित प्राप्त शिकायतें और इन पर की गई कार्रवाई:
18. पणधारियों से परामर्श:
19. प्राधिकरण/बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई जांच:
20. प्रशासन और संस्थापना संबंधी मामले:
21. तुलना पत्र, आय और व्यय खाता आदि ब्यौरो के साथ बजट और लेखे:
22. अन्य कोई मामला, जो सुसंगत हो।

प्ररूप-ख

[नियम 11(2) और नियम 12 देखें]

मानसिक स्वास्थ्य संस्था के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के
नवीकरण की अनुमति हेतु आवेदन

सेवा में

.....
मंत्रालय/विभाग.....
भारत सरकार.....
.....

महोदय/महोदया,

मैं/हम मानसिक स्वास्थ्य संस्था अर्थात् हेतु अनंतिम
रजिस्ट्रीकरण /स्थायी रजिस्ट्रीकरण /अनंतिम पंजीकरण के नवीकरण की अनुमति के लिए आवेदन करना
चाहता/चाहते हूँ/ जिसके लिए मेरे/हमारे पास ऐसे अस्पताल/नर्सिंग होम की स्थापना/अनुरक्षण हेतु वैध
अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रीकरण है। अस्पताल/नर्सिंग होम का विवरण निम्नलिखित है:

1. आवेदक का नाम
2. अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी के नाम के संदर्भ में अनुज्ञप्ति का विवरण और तारीख
.....
3. आयु
4. मनश्चिकित्सा में वृत्तिक अनुभव.....
5. आवेदक का स्थायी पता
6. प्रस्तावित अस्पताल/नर्सिंग होम का स्थान.....
.....
7. प्रस्तावित नर्सिंग होम/अस्पताल का पता.....
8. प्रस्तावित आवास:
 - क. कमरों की संख्या.....
 - ख. बिस्तरों की संख्या.....
 - ग. प्रदान की जाने वाली प्रसुविधाएं:
 - घ. बहिरंग-रोगी.....
 - ड. आपातकालीन सेवाएं.....

- च. अंत-रोगी सुविधा-केंद्र.....
- छ. व्यावसायिक व मनोरंजन सुविधा-केंद्र.....
- ज. ईसीटी सुविधा-केंद्र (एक्स-रे सुविधा-केंद्र).....
- झ. मनोवैज्ञानिक परीक्षण सुविधा-केंद्र.....
- ञ. परीक्षण व प्रयोगशाला सुविधा-केंद्र.....
- ट. उपचार सुविधा-केंद्र

कर्मचारिवृंद का पैटर्न:

- क. चिकित्सकों की संख्या.....
- ख. नर्सों की संख्या.....
- ग. परिचारकों की संख्या.....
- घ. अन्य

मैं इसके साथ..... रु. का बैंक ड्राफ्ट आवेदन फीस के रूप में..... के पक्ष में भेज रहा/रही हूँ।

मैं मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नियमों व विनियम का पालन करने का उत्तरदायित्व लेता/लेती हूँ।

मैं आपसे मानसिक रोग अस्पताल/नर्सिंग होम की स्थापना/अनुरक्षण हेतु लाइसेंस के लिए मेरे आवेदन पर विचार तथा अनुमति देने के लिए अनुरोध करता/करती हूँ।

भवदीय

हस्ताक्षर.....

नाम.....

तारीख.....

प्ररूप-ग

[नियम 11 (3) देखें]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

केन्द्रीय प्राधिकारी/राज्य-प्राधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 65 (2) या धारा 66 (3) या धारा 66 (10) के अधीन..... द्वारा प्रस्तुत तारीख..... के आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार धारा 66 (4) या धारा 66 (11) के निबंधनानुसार मानसिक स्वास्थ्य संस्था के लिए आवेदन को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण /अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की सहमति देता है।

नाम: _____

पता _____

बिस्तरों की संख्या _____

जारी किया गया अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 व इसके अधीन बनाए गए नियमों व विनियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन है और यह इसके जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए वैध रहेगा तथा इसे नवीकृत किया जा सकता है।

स्थान

तारीख

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की मुहर

प्ररूप-घ

(नियम-14 देखें)

मानसिक स्वास्थ्य संस्था का रजिस्टर

(डिजिटल फॉर्मेट में)*

प्रवर्ग

क्र.सं.	आवेदक का नाम और पता	संस्था का नाम और पता	आवेदन की तारीख	रजिस्ट्रीकरण का विवरण और तारीख	बिस्तरों की संख्या	टिप्पणियां

*मानसिक स्वास्थ्य संस्था की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग सारणी

प्ररूप-ड.

[नियम 16 (1) देखें]

केन्द्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

1. परिचय
2. प्राधिकरण के सदस्यों की प्रोफाइल
3. विनियम का विस्तार
4. अधिसूचित/जारी नए विनियम/कार्यविधियां आदि
5. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश
6. वर्ष के दौरान आयोजित की गई केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठकें
7. केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थाएं
8. राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य संस्थाएं
9. राज्य प्राधिकरणों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण
10. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों से संबंधित विवरण व उस पर की गई कार्रवाई
11. केन्द्रीय व राज्य सरकारों को भेजे गए संदर्भों से संबंधित विवरण व संबंधित सरकारों द्वारा उस पर की गई कार्रवाई
12. केन्द्रीय सरकार के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के भिन्न-भिन्न प्रकारों हेतु गुणवत्ता और सेवा उपबंध मानदंड
13. केन्द्रीय सरकार के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा उनकी सेवाओं के उपबंधों की कमियों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई
14. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के उपबंधों व कार्यान्वयन के बारे में विधि प्रवर्तन अधिकारियों, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों व अन्य स्वास्थ्य वृत्तिकों सहित व्यक्तियों को दिया गया प्रशिक्षण

15. मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राप्त, स्वीकृत व निरस्त किए जाने के कारणों के साथ निरस्त किए गए आवेदन।
16. मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं की लेखा-परीक्षा
17. मानसिक रोगियों के अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त शिकायतें व उस पर की गई कार्रवाई।
18. केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण के अतिक्रमण के उदाहरण व उसके कारण
19. चिकित्सा व्यवसायियों और मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज से संबंधित ब्यौरे।
20. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन
21. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अधीन महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ब्यौरे
22. मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण और जांच
23. प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील व उसकी प्रास्थिति
24. इसके संबंध में प्राधिकरण के अग्रिम निदेशों व सिफारिशों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति
25. सेवाओं के उपबंधों में कमियों के बारे में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई
26. पणधारियों से परामर्श
27. प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई जांच
28. प्रशासन व स्थापना संबंधी मामले
29. वार्षिक लेखा
30. कोई अन्य मामला, जिसे प्राधिकरण की राय में उल्लेख किया जाना हो।


[फा.सं.वी-15011/09/2017-पीएच-1]

लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव